A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी– अमानुल्लाह खान, आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
30 / अपील / 21	01.09.2021	08.10.2021

1. श्री दुर्गालाल आ0 गजानन्द जाति कीर निवासी ग्राम जयनिवास तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. श्री सोनू आ0 गजानन्द जाति कीर निवासी ग्राम जयनिवास तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार महोदय दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की ओर से – श्री राजकुमार माथुर एड0

रेस्पो0 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2021 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलान्ट को भूमि खसरा सं. 47, 48, 49 रकबा 9.00 बीघा किस्म चरागाह भूमि ग्राम जयनिवास का अतिचारी मानते हुए बेदखली, 1125 रू. शास्ति तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट की विधिवत् तामील नहीं हुई है। सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। बिना किसी साक्ष्य के अपीलान्ट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलाधीन आदेश दोषपूर्ण है। अपीलार्थी अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त भूमि पर वैध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। अतिक्रमणशुद्धा भूमि पंचायत के खाते में से सरकार के खाते में दिये जाने के आदेश हो चुके हैं परन्तु इसका अमल नहीं होने से वर्तमान में चरागाह के रूप में दर्ज हैं। माननीय राजस्व अपीलीय अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.1996 में भी इस भूमि पर से बेदखल नहीं करने के आदेश दिये हुये हैं। अतः अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2021 को निरस्त किया जावें।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/2

राकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने चरागाह भूमि तिचार किया है। वह बार–बार अतिचार करने का आदि है,जिसे पूर्व में बेदखल किया चुका था। अपीलान्ट को विधिवत् नोटिस जारी किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है,जिसमें कोई विधिक दोष नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से ारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा सं. 47, 48, 49 रकबा 9.00 बीघा किस्म चरागाह भूमि पर अतिचार किया जाना प्रमाणित हैं। बयान पटवारी हल्का के अनुसार अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिचार किया था,जिसको बेदखल कर दिया गया था। अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया हैं कि खसरा सं. 47, 48, 49 रकबा 9.00 बीघा पंचायत के खाते से सिवायचक खाते में दिये जाने के आदेश पूर्व में ही हो चुके हैं। इस संबंध में अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 11 का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण में खसरा संख्या 47, 48, 49 का अंकन नहीं हैं। उक्त नामान्तरकरण का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किन कारणों से नहीं हुआ हैं, यह हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट नहीं होता हैं। यदि भूमि का अमल दरामद कर भी दिया जाता तो उसकी किस्म राजकीय सिवायचक के रूप में होती। अपीलांट अतिक्रमी हैं जिसे कानूनन अतिक्रमण की भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गई हैं, जो इस प्रकरण में प्रभावी नहीं हैं। वर्तमान में खसरा संख्या 47, 48, 49 रकबा 9.00 बीघा वाके ग्राम जयनिवास की भूमि राजस्व रेकार्ड में चरागाह भूमि दर्ज हैं जिस पर अपीलान्ट बार–बार अतिचार करने का आदि हैं किन्तु फिर भी अपीलान्ट के प्रति न्यायहित को दृष्टिगत रखकर नरमी का रूख अपनाते हुए आदेश दिये जाते है कि यदि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर से कब्जा छोड़ने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर देवें तथा भूमि पर से कब्जा छोड़ दे तो अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित सिविल सजा का आदेश निरस्त रखा जावें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अपीलाधीन आदेश यथावत् रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भेजी जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर कराई जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बूंदी (राज.)

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी